1627

संख्या : /33–3–2015–164/2014टीसी

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3. लखनऊ : दिनांक: 26 जून ,2015

विषयः–ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यवस्था/कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इस अभियान का एक प्रमुख घटक है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को परिवार की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजना आधार पर शुरू किया जाना है ताकि सभी ग्राम पंचायतें स्थायी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें। इस घटक के तहत कम्पोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र, कम लागत वाली निकासी, सोखने चैनल/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरा को अलग-अलग करना तथा उसका निपटान करना इत्यादि जैसे क्रियाकलाप शुरू किये जा सकते हैं। बायोइनर्जी मिशन द्वारा गोबर तथा बायोडिग्रेडेबिल कचरे से घरेलू गैस बनाने का संयत्र विकसित किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुये पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाने तथा बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से निर्गत राज्य जैव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा नीति/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस पदार्थों के अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था को क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त निम्नानुसार व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

—2/—

(क) प्रदेश में लागू ठोस पदार्थों के अपशिष्ट प्रबन्धन को योजनाबद्ध/चरणबद्ध रूप से अभियान के रूप में संचालित किया जाय। इस कार्य को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित वित्तीय सहायता से परियोजना आधार पर संचालित/क्रियान्वित किया जाये। इसके तहत कम्पोस्ट किट, वर्मी कम्पोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र/सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, कचरा के निस्तारण/तत्समान क्रियाकलाप इत्यादि किये जायेंगे।

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर सहायता का निर्धारण किया जाता है, जो 150 परिवार वाले ग्राम पंचायत के लिये अधिकतम 7.00 लाख रु0, 150 से अधिक तथा 300 परिवार वाले ग्राम पंचायतों के लिये 12.00 लाख रु0, 300 से अधिक तथा 500 से परिवारों तक की ग्राम पंचायतों के लिये 15.00 लाख रु0 तथा 500 से अधिक परिवारों के लिये 20.00 लाख रु0 की सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार कर जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ को भेजी जायेगी, जिसका निदेशालय स्तर पर गठित स्टेट लेविल स्कीम सैक्सनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(घ) प्रस्तावित प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों में, जन सामान्य के स्तर पर उपलब्ध समस्त प्रकार के सड़ने योग्य कचरे जैसे- गोबर, जानवरों का बचा चारा, खेत की निराई के उपरान्त घासफूस, सगन्ध फसलों के आसवन के उपरान्त प्राप्त अपशिष्ट, ग्रामीण हाट में उपलब्ध खराब तथा सड़ी सब्जी इत्यादि को स्थापित संयंत्र में प्रयोग करके/उपयोग कर घरेलू गैस ईंधन का उत्पादन भी अतिरिक्त रूप से किया जा सकेगा, जो न केवल जन सामान्य की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, अपितु रोजगारपरक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी है। यह संयंत्र बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0 तथा यूनिसेफ लखनऊ के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है।

(ङ) उक्तानुसार निर्मित/स्थापित सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों/इकाईयों के संचालन हेतु स्थानीय स्वरोजगारोन्मुखी व्यक्तियों/लाभार्थी समूहों से इसके प्रबन्धन/संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। व्यक्तिगत बायोगैस इकाई की स्थापना की स्थिति में उसका प्रबंधन सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

(च) पंचायतें अपनी-अपनी स्वामित्व की रिक्त/खाली पड़ी भूमि पर बायोगैस संयंत्र से प्राप्त स्लरी का उपयोग कर अर्गेनिक खेती हेतु प्रयास करेगी/जनमानस में इसे बढ़ावा देगी/अभिप्रेरित करेगी।

(छ) प्रत्येक स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि के लिए बायो इनर्जी मिशन सेल का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

...3/-

(झ) उक्त संयंत्र/व्यवस्था से घरेलू उपयोग हेतु गैस ईंधन के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद भी प्राप्त होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस गैस का उपयोग घरेलू/व्यावसायिक उपयोग तथा विद्युत उत्पादन हेतु भी किया जा सकता है। बी0इ0एम0सी0-यूनिसेफ नामक इस मॉडल की निःशुल्क विस्तृत जानकारी श्री पी0एस0 ओझा, राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0, कक्ष संख्या-534, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ 226001 फोन/फैक्स: 0522-2238213, मोबाइल नं0 : 09415004917, email: ps_ojha @ yahoo.com, Website : http//jatropha. up.nic.in अथवा निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ, फोन — 0522-2286646, फैक्स— 0522-2286611, email: panchraj @nic.in, Web : panchayatiraj.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

सं0 : 1621 (1) 33-3-2015- तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
3- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0शासन।
4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6- निदेशक, पंचायती राज, लेखा उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0/उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक।
8- अपर आयुक्त, मनरेगा, उ0प्र0शासन।
9- राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, उ0प्र0।
11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।